


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती रीटा भूपेश राठौड़ पत्नी भूपेश मोहनलाल राठौड़ पता 1502 ए चंदनबाला सी एच एस मालाबार हिल्स, वालकेश्वर मुम्बई 400006 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :- 24/2026 जीसीएमएस नं. :- 2026/37 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>10.03.2026</p>	<p>:- निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार पाली से सम्बन्धित होने से कार्यालय हाजा के पत्रांक 910 दिनांक 27.10.2025 द्वारा तहसीलदार पाली को अन्तरित की गई थी एवं उक्त संबंध में अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया था। इस क्रम में अवगत करवाया गया कि तहसीलदार पाली ने अपने पत्रांक 224 दिनांक 12.02.2026 द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तहसीलदार पाली से संबंधित होने से तहसीलदार पाली ने अपीलार्थी को जो सूचना उपलब्ध करवाई, के संबंध में अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने आपत्ति व्यक्त की। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र का पुनः नियमानुसार 15 दिवस में निस्तारण करे। 6. निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ़्तर हो। <p style="text-align: center;">  (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	